भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 924
दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

परित्यक्त वधुओं को एनजीओ की सहायता

924. सुश्री दिया कुमारीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/विदेशी दूल्हों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना के साथ संबद्ध एनजीओ की कुल संख्या कितनी है;

(ख) योजना के अंतर्गत किसी एनजीओ को पैनलबद्ध करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया तय की गई है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : विदेश मंत्रालय द्वारा गठित 'इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड (आईसीडब्ल्यूएफ) स्कीम' के अंतर्गत भारतीय दूतावासों और विदेश में स्थित केन्द्रों के साथ 193 संगठन/ एनजीओ पंजीकृत हैं।

(ख) : किसी एनजीओ को सूचीबद्ध करने के सरकारी मापदंड अनुलग्नक- । में दिए गए हैं।

(ग) : आईसीडब्ल्यूएफ के अंतर्गत भारतीय दूतावासों एवं केन्द्रों ने जनवरी, 2016 से अक्टूबर, 2019 तक 81 भारतीय महिलाओं को सहायता पहुंचाई है।

*****

अनुलग्नक- I

<u>योजना के तहत किसी एनजीओ को सूचीबद्ध करने के मापदंड</u>

विदेशों में उनके भारतीय जीवन साथी द्वारा परित्यक्त महिलाओं को वैधानिक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इंडियन वुमेनस आर्गनाइजेशन, 'इंडियन कम्युनिटी एसोसिएशन या एनजीओ (यहां इसके बाद संगठन के रूप में संदर्भित) में सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव देते वक्त निम्नलिखित सूचना/ दस्तावेज भारतीय दूतावास / केन्द्र के माध्यम से जमा कराने होंगे।

1. संगठन का नाम, पता और संपर्क विवरण
2. स्थापना का वर्ष (दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)
3. कार्य करने / परिचालन का प्रमुख क्षेत्र
4. प्रबंध समिति/ संचालन निकाय/ पद धारक - मौजूदा सूची उपलब्ध कराएं
5. वर्ष वार, तीन वर्षों की कुल सदस्यों की संख्या
6. वित्त्पोषण का प्रमुख स्रोत
7. पिछले तीन सालों के अंकेक्षित खाते
8. अगर संगठन का कोई वैधानिक परामर्शी फर्म हो तो उसका विवरण
9. अगर संगठन का कोई महिला वकील सदस्य हो, तो उसका नाम और विवरण
10. अगर संगठन ने कोई बड़ी पहल की है तो उसका विवरण
11. अगर कोई, मुख्य सेवा भारतीय समुदाय को प्रदान की गई हो
12. तीन वर्षों के दौरान की गई परोपकार की कोई बड़ी गतिविधि
13. विशेष रूप से अगर भारतीय समुदाय की महिलाओं के लिए कोई गतिविधि की गई हो तो उसका विवरण
14. क्या संगठन विदेशों में भारतीय महिलाओं के जीवन साथियों द्वारा उन्हें छोड़ने देने वाली ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने में शामिल रहा है ?
15. एक साल में संगठन कितने मामलों का निपटारा कर सकता है?
16. भारतीय दूतावास/ केन्द्र की सिफारिश